93 6 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) में गैर सरकारी निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति सीपीएसई के निदेशक मंडल के व्यवसायीकरण हेतु नीति के संदर्भ में सरकार द्वारा शुरू की गई बड़ी पहलों में से एक रही है। निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की उपस्थिति को सुदृढ़ निगमित शासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कंपनी के साथ–साथ इसके निदेशक मंडल के सुचारू ढंग से संचालन और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए उनकी महत्वपूर्ण और सृजनात्मक भूमिका अनिवार्य है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि और इस तथ्य के मद्देनजर कि निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित करने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी वातावरण निर्मित होता है और गैर सरकारी निदेशकों को उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी और दक्ष ढंग से पूरा करने के फलस्वरूप पणधारकों के हितों की रक्षा होती है और इससे उनमें विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी, को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों का मसौदा तैयार करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं।

2. उपर्युक्त कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को सौंपा गया और संगत पणधारकों के विचार प्राप्त करते हुए एक परामर्शी प्रक्रिया के जरिए सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया गया है और इसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है।

3. गैर सरकारी निदेशकों के लिए आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों की प्राप्त किए गए अनुभवों के आलोक में और संसद द्वारा जब कभी पारित किए जाने पर कंपनी बिल, 2011 के संगत प्रावधानों के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई और ऐसे सीपीएसई के निदेशक मंडल में नियुक्त सभी गैर सरकारी निदेशकों की सूचना और अनुपालन के लिए उनके ध्यान में लाएं और इसकी सूचना इस विभाग को भी दें ।

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) में गैर सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियां

I. भूमिका और कार्य :

गैर सरकारी निदेशक निम्नलिखित कार्यों में सहयोग देंगे :

1. विशेष रूप से रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नीतियों, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी, स्थायी विकास और आचरण संबंधी मानकों के मुद्दों पर निदेशक मंडल की चर्चाओं में शामिल होकर एक स्वतंत्र निर्णय लेने में सहयोग देना;
   कंपनी अथवा इसके प्रबंधन से पूरी तरह से स्वतंत्र होने के नाते कंपनी की योजनाओं में त्रुटियों अथवा कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर करना और सुधार के लिए उपाय सुझाना।

2. निदेशक मंडल और प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करने में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना;

3. सहमति के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन के निष्पादन की जांच और निष्पादन की रिपोर्टिंग की निगरानी करना;

4. कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों को सुकर बनाना जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों;

5. वित्तीय सूचना की सत्यनिष्ठा और इस तथ्य को लेकर अपने आप को संतुष्ट करना कि वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन की प्रणालियां पर्याप्त रूप से सुदृढ़ और सुरक्षात्मक है;

6. सकारात्मक जानकारी (इनपुट) और आवश्यक होने पर रचनात्मक आलोचना द्वारा निदेशक मंडल की निर्णय प्रक्रिया का मूल्यवर्धन;

7. सभी पणधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक पणधारकों के हितों की रक्षा करना;

8. पृथक बैठकें :

   1) कंपनी के गैर सरकारी निदेशक वर्ष में कम से कम एक ऐसी बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें प्रकार्यात्मक और सरकारी निदेशक तथा प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे;
   2) ऐसी बैठक में कंपनी के सभी गैर सरकारी निदेशक उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे;
   3) ऐसी बैठक के दौरानः

(क) प्रकार्यात्मक और सरकारी निदेशकों तथा पूरे निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा;
(ख) सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा;
(ग) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच ऐसी सूचना, जो निदेशक मंडल के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक है, के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयनिष्ठता का मूल्यांकन।

9. पणधारकों के विवादास्पद हितों का संतुलन बनाना;

10. प्रबंधन और पणधारकों के हितों के बीच विवाद की स्थिति में समग्र रूप से कंपनी के हित की रक्षा और मध्यस्थता करना;

11. कंपनी के स्थायी विकास को सुकर बनाना;

12. कंपनी द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों और संसाधन संरक्षण की प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना; और

13. सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश– 2010 के अध्याय 5 के अनुसार मेहनताने के उपयुक्त स्तरों के निर्धारण में सहायता करना।

II. कर्तव्य :

गैर सरकारी निदेशक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे:

1. उपयुक्त प्रवेश प्रशिक्षण लेना और अपने कौशल, ज्ञान और कंपनी के बारे में सुविज्ञता को नियमित रूप से अद्यतन करना;
2. सूचना के बारे मेंउपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करना अथवा बाह्य विशेषज्ञों की उपयुक्त पेशेवर सलाह और दृष्टिकोण प्राप्त करना और उसका अनुपालन करना;

3. निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियां जिनमें वह एक सदस्य के रूप में शामिल हैं, की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए प्रयास करना।

4. बोर्ड की ऐसी समितियों, जिनमें वे अध्यक्ष अथवा सदस्यों के रूप में शामिल हैं, में रचनात्मक रूप से और सक्रियता के साथ भागीदारी करना;

5. कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने के लिए प्रयास करना;

6. जहां कहीं भी उन्हें कंपनी के संचालन अथवा किसी प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कोई चिंता होती है, तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करना कि उनका निराकरण निदेशक मंडल द्वारा किया जाए और यदि उनका समाधान नहीं किया जाता है तो प्रबंधन पर इस बात के लिए दबाब बनाना कि उनकी चिंताओं को निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाए।

7. कंपनी और बाह्य बातावरण, जिसमें इसका प्रचालन चल रहा है, के बारे में भली–भांति जानकारी प्रदान करना;

8. अपने किसी निजी हित अथवा लाभ या किसी अन्य निकाय के लाभ के लिए गैर सरकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवा के दौरान प्राप्त की गई किसी गोपनीय सूचना का इस्तेमाल न करना;

9. सदस्य के संज्ञान में आने वाली ऐसी किसी सूचना, जो निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है अथवा अन्यथा कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, के बारे में निदेशक मंडल को उपयुक्त ढंग से और समय पर सूचित करना;

10. किसी अन्यथा उचित निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की समिति की कार्यप्रणाली में अनुचित ढंग से बाधा नहीं डालना;
11. यह सुनिश्चित करना और पर्याप्त ध्यान देना कि संबंधित पक्षकार लेनदेनों का अनुमोदन प्रदान करने से पहले पर्याप्त विचार–विमर्श किया गया है और अपने आपको इस बात से आश्वस्त करना कि ऐसा कंपनी के हित में है;
12. वर्ष के दौरान अपनी भूमिका और योगदान के बारे में निदेशक मंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इससे उनकी कार्यप्रणाली में जवाबदेही निहित होगी और उनका योगदान बढ़ेगा;

13. सिद्धांतहीन व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता अथवा सैद्धांतिक नीति के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की सूचना देना;

14. अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करना, कंपनी, शेयरधारकों और इसके कर्मचारियों के वैधानिक हितों की रक्षा में सहयोग करना;

15. जब तक कि निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन न दिया जाए अथवा विधि के अंतर्गत आवश्यक न हो, तो वाणिज्यिक रहस्यों, प्रौद्योगिकियों, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना सहित गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं करना;

16. यह आश्वस्त और सुनिश्चित करना कि कंपनी में पर्याप्त और प्रकार्यात्मक सतर्कता तंत्र मौजूद है तथा यह भी सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति, जो ऐसे तंत्र का इस्तेमाल करता है, के हित ऐसे इस्तेमाल के फलस्वरूप पूर्वाग्रह के साथ प्रभावित नहीं होते हैं।

17. लागू विधियों के बारे में जानकारी रखना और इस बात को समझना कि यदि कंपनी द्वारा किसी भी विधि का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी देयता उत्पन्न हो सकती है और वह कंपनी के लिए लागू विधियों (कानूनों) की सूची प्राप्त करेगा तथा उन नियमों के उल्लंघन के मामले में दांडिक प्रावधानों को भी समझेगा; और

18. निदेशक मंडल की दस से अधिक समितियों/उपसमितियों में सदस्य के रूप में शामिल नहीं होगा और ऐसी सीपीएसई कंपनियों के निदेशक मंडल की पांच से अधिक समितियों/उपसमितियों में अध्यक्ष केरूप में कार्यनहीं करेगा, जिनमें वह एक निदेशक के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा प्रत्येक गैर सरकारी निदेशक कंपनी को अन्य कंपनियों की ऐसी समितियों/उपसमितियों में अपने पदों के बारे में सूचित करना चाहिए और यदि उनके पदों में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) के साथ–साथ परिवर्तन की तिथि आदि की भी सूचना दी जानी चाहिए।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 16 (4)/2012–जीएम, दिनांक : 28 दिसंबर 2012)